क्रमांक 2687-2 जी0 एस0-69/10169

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

हरियाणा के सभी विभाग अध्यक्ष,
कमिश्नर अम्बाला मण्डल, और सभी डिप्टी कमिश्नर

दिनांक, चण्डीगढ़ 17-5-1969

विषय :—राज्य की भिन्न-2 सेवाओं के भरती तथा सेवा शर्तों के नियम।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य की बहुत सी सेवाओं के सेवा नियम जो संविधान की धारा 309 की अन्तंगत बनाने चाहिए अभी तक नहीं बने। इस बारे में कई बार प्रशासकीय विभागों का ध्यान इस ओर दिलाया गया है और उनसे यह अनुरोध किया गया है कि सेवा नियम शीघ्र तैयार करें। फिर भी प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।

2. यह भी देखा गया है कि यदि किसी विभाग में कोई आसामी खाली होती है तो विभाग उसे 6 मास के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की सलाह के बिना तदर्थ नियुक्ति करके भर लेता है। 6 मास पूरे हो जाने के बाद कुछ रोज के लिए उस अधिकारी को हटा कर दोबारा 6 मास के लिए नियुक्त कर लिया जाता है। यह तरीका बिल्कुल गल्त है।

3. लोक सेवा आयोग ने अभी अपनी 1967-68 वार्षिक रिपोर्ट में लिखा है (उसका उद्धरण अनुबन्ध पर है) कि बहुत सी सेवाओं के अभी तक नियम नहीं बने हैं। ठीक और सही सिलेक्शन के लिए यह आवश्यक है कि मैथड आफ रिक्रूटमैन्ट व नियुक्ति करने के हालात लोक सेवा आयोग को मालूम हो। आयोग का प्रस्ताव है कि राज्य सरकार एक तिथि निश्चित कर दे जिस से पहले प्रत्येक विभाग के नियम तैयार हो जावें यदि इस तिथि तक कोई विभाग अपने रूल्ज तैयार न करे तो उसको बताया जाए कि उन्हें कोई रिक्ति भरने की आज्ञा न होगी।

4. लोक सेवा आयोग ने यह ठीक अवलोकन किया है कि जो रिक्रूटमैंट वह करे उसके लिये रूलों की आवश्यकता है। इसके बिना न तो उम्मीदवार को पता चलता है कि किस नियम के आधार पर सिलेक्शन होगी और न ही आयोग अच्छी प्रकार से सिलैक्शन कर सकती है। सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग के इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है और सरकार ने यह फैसला किया है कि सभी प्रशासकीय विभाग तथा विभाग-अध्यक्ष इस पत्र के जारी होने की तिथि के 6 मास के भीतर अपने अधीन सभी सेवाओं के भरती नियम अन्तिम रूप में तैयार करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें किसी भी रिक्ति को भरने का उस समय तक अधिकार न होगा जब तक कि उस सेवा के सेवा नियम नहीं बनते। इसलिए आप से अनुरोध है कि आप निश्चित समय के अन्दर-2 ऐसे केसों में आवश्यक कार्यवाही पूरी कर लें।